

an>

Title: Need to give benefit to the eligible persons under National Food Security Act in Banda Parliamentary Constituency.

**श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :** सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चित्तकूट एवं बांदा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत सभी पात्र लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं। जिससे अधिकतर गरीब व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित हैं। पहले तो प्रदेश में ही काफी बाद इस कानून को लागू किया गया। जब सूखा पड़ा और त्राहि-त्राहि मची तो राज्य सरकार ने इन जिलों में इसे लागू किया। कोटेदारों और ग्राम के प्रभावशाली लोगों ने मिलकर जल्दबाजी में अपने चहेतों को कार्ड बना डाले। बाकी पात्र लोग छूटे हुए हैं।

अतः अब ऑन लाइन कराने के बाद भी राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और लोगों को राशन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। सूखे के कारण भुखमरी की स्थिति बनी है। अतः सरकार से अनुरोध है कि इस विषय पर सभी पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत लाभ देने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

HON. CHAIRPERSON:

Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Bhairon Prasad Mishra.